

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड



निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के  
लिए आचार संहिता

## निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

कॉर्पोरेट संचालन के लिए दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, "आचार संहिता" तैयार की गई है जो इसके अंतर्निहित मूल मूल्यों को दर्शाती है: व्यक्तिगत अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता, व्यक्ति के लिए सम्मान, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और उत्कृष्टता की खोज।

कंपनी के पास वर्तमान में सभी कर्मचारियों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम ("सीडीए नियमावली") है, जो लेकिन गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशकों को छोड़कर पूर्णकालिक निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित नियंत्रित करती है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता अब डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष रूप से तैयार की गई है। पूर्णकालिक निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संबंध में इस संहिता को सीडीए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

इस संहिता में शामिल कोई भी चीज़ सीडीए नियमों के प्रावधानों को अमान्य, अप्रभावी या प्रतिस्थापित नहीं करेगी। यदि इस संहिता का कोई भी प्रावधान सीडीए नियमों के प्रावधानों के विपरीत है, तो उसे निर्णय के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा। इसी प्रकार, इसमें शामिल कोई भी चीज़ कंपनी की अन्य लागू नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं को अमान्य या प्रतिस्थापित नहीं करेगी।

इस संहिता का उद्देश्य गलत काम को रोकना और कंपनी के कार्य प्रबंधन में नैतिक आचरण और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

यह 1 जनवरी 2013 से प्रभावी होगा।

### परिभाषाएँ एवं व्याख्या

इस संहिता में, जब तक उसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए नीचे दिया गया है:

"बोर्ड सदस्य" शब्द का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों से होगा।

शब्द "पूर्णकालिक निदेशक/ कार्यकारी निदेशक" का अर्थ बोर्ड के सदस्य होंगे जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में हैं।

"गैर-पूर्णकालिक निदेशक" शब्द का अर्थ उन बोर्ड सदस्यों से होगा जो अंशकालिक निदेशक हैं और कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित) सहित पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं।

"वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक" शब्द का अर्थ कंपनी के ऐसे कार्मिकों से होगा जो इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं। आम तौर पर इसमें कार्यकारी निदेशकों से एक स्तर नीचे प्रबंधन के सभी सदस्य शामिल होंगे, जिसमें सभी कार्यकारी प्रमुख और क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक/जोन/क्षेत्रों और इकाइयों के महाप्रबंधक शामिल होंगे।

शब्द "रिश्तेदार" का अर्थ 'संबंधी' होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची आईए के साथ पठित धारा 2(41) और धारा 6 में परिभाषित किया गया है। (परिशिष्ट-I देखें)

"कंपनी" शब्द का अर्थ सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा।

इस कोड में पुल्लिंग का प्रयोग करने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द शामिल होंगे और एकवचन का प्रयोग करने वाले शब्दों में बहुवचन अथवा विपरीत शामिल होगा।

## प्रयोज्यता

यह संहिता निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होगी:

क) सभी पूर्णकालिक निदेशक/ कार्यकारी निदेशक

ख) सभी गैर-पूर्णकालिक निदेशक जिनमें कानून के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशक और सरकारी निदेशक भी शामिल हैं।

ग) सभी गैर-बोर्ड सदस्यों को यहां "वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक" के रूप में नामित किया गया है, जिसमें कार्यकारी निदेशक, सभी कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक/जोन/क्षेत्रों और कंपनी की इकाइयों के महाप्रबंधक शामिल हैं।

आचार संहिता सभी संबंधितों को आदेश देती है:-

- i) पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखना और ऐसा कुछ भी नहीं करना जो एक लोक सेवक के लिए अशोभनीय हो।
- ii) संयम में रहना तथा संयमित आचरण करना, और सभी संबंधितों के प्रति उचित सम्मान एवं सभ्यता दिखाना; कंपनी के हित को बढ़ावा देने और इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने तथा बनाए रखने का प्रयास करना।
- iii) ग्राहकों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकरों, सरकारी अधिकारियों और साथी कर्मचारियों सहित हमारे संपूर्ण हितधारकों के साथ विश्वास के आधार पर समृद्ध संबंध बनाना और व्यवसाय करते समय प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान और गरिमामयी व्यवहार करना।
- iv) कंपनी के हितों और व्यक्तिगत हितों के बीच टकराव से बचना।
- v) कानूनी और नियामक आवश्यकताओं तथा कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं से परिचित होना और उनका अनुपालन करना।
- vi) प्रस्तुत रिकॉर्ड में सटीक, समय पर, पूर्ण और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना, सीसीआई की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करना और हमारे साथ व्यापार करने वाली अन्य पार्टियों की गोपनीय जानकारी का सम्मान करना।
- vii) हमारे ध्यान में आने वाले कानून या विनियमन, नैतिक सिद्धांतों या कंपनी की नीतियों के किसी भी उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को तुरंत रिपोर्ट करना।

बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए: -

## 1. हितों के टकराव से बचने के लिए

जहां भी आवश्यक हो, बोर्ड के सदस्यों को रुचि का उचित खुलासा करना चाहिए। अधिकारियों को किसी रिश्तेदार के साथ या ऐसे व्यवसाय में कंपनी का व्यवसाय करने से बचना चाहिए जिसमें कोई रिश्तेदार किसी महत्वपूर्ण भूमिका में जुड़ा हो। इस प्रयोजन के लिए रिश्तेदार का अर्थ है "संबंधी" जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है (परिशिष्ट-I देखें)।

## 2. सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों पर व्यक्तिगत आपराधिक या नागरिक दायित्व के साथ-साथ कंपनी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

## 3. प्रकटीकरण

बोर्ड के सदस्य कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और समय-समय पर लागू अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक उचित और समय पर प्रकटीकरण करेंगे।

## 4. रिश्वत/उपहार स्वीकार न करना

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को अपने वैध कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए कोई अनुचित भुगतान स्वीकार नहीं करना चाहिए।

व्यवसाय के संचालन में निगम/सरकार के सीडीए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कभी-कभी नाममात्र मूल्य के उपहारों का व्यवसाय-संबंधित आदान-प्रदान शामिल हो सकता है। वित्तीय नियम/शासन। दिशानिर्देश, समय-समय पर संशोधित। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को इस संबंध में इन दिशानिर्देशों/नियमों का पालन करना चाहिए।

## 5. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दे

हमारे परिचालन से प्रभावित कर्मचारियों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित कार्य पद्धति अपनाने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

## 6. सरकार या सीसीआई की आलोचना

कोई भी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी रेडियो प्रसारण/टीवी प्रसारण में या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज़ में या प्रेस से किसी संचार में, या किसी सार्वजनिक भाषण में ऐसा कोई बयान नहीं देगा जिससे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव, या जो कंपनी और जनता के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम है।

हालाँकि, उपरोक्त उन बयानों या विचारों पर लागू नहीं होगा जो पूरी तरह से तथ्यात्मक प्रकृति के हैं और गोपनीय प्रकृति के नहीं माने जाते हैं और बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में या सौंपे गए कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन में दिए या व्यक्त किए जाते हैं। उसे। यह कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा या उनमें सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी मान्यता प्राप्त यूनियन/एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा विचारों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति पर भी लागू नहीं होता है।

## 7. उपचार की समानता

सीसीआई समान अवसर, उपचार की समानता और गतिशील माहौल बनाने के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है जहां विविधता को संवर्धन और अवसर के स्रोत के रूप में महत्व दिया जाता है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी नौकरी आवेदकों, साथी कर्मचारियों, ग्राहकों और सीसीआई से जुड़े किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करके कंपनी के मानकों को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें।

## 8. पुस्तकें एवं अभिलेख

सटीक, सार्थक और समय पर जानकारी हमारे सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना हममें से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि हमारी किताबें और रिकॉर्ड सटीक हों ताकि वे सीसीआई के व्यवसाय के सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें।

रिकॉर्ड तैयार करते समय सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, लेखांकन मानकों और प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार उचित खुलासे किए जाने चाहिए।

## 9. विविधता

हमारी समग्र उत्पादकता, व्यावसायिक सफलता और कर्मचारी वफादारी को बढ़ाने के लिए कंपनी के भीतर विविधता को बढ़ावा देने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उच्चतम मानकों का पालन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पृष्ठभूमि, संस्कृति, विश्वासों या विशेषताओं के अंतर के आधार पर उत्पीड़न, भेदभावपूर्ण या आक्रामक व्यवहार की अनुमति या बर्दाश्त नहीं की जाती है।

## 10. सूचना प्रौद्योगिकी एवं नेटवर्क सुरक्षा

कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की जानकारी महत्वपूर्ण हैं और इन्हें उद्देश्य के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। इनका उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक तथा केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। सिस्टम की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, नेटवर्क आईडी और पासवर्ड अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को नहीं बताए जाने चाहिए।

किसी को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संचार नहीं करना चाहिए जिसे आक्रामक, अपमानजनक, उत्पीड़नकारी, अश्लील, अभद्र या अन्यथा अश्लील माना जा सकता है। जब तक अनुमति न दी जाए, आपको कभी भी सीसीआई सिस्टम पर चैन पत्र, विज्ञापन या आग्रह प्रसारित नहीं करना चाहिए।

## 11. सूचना का अनधिकृत संचार

कोई भी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक, अपने कर्तव्यों के सामान्य व्यवसाय के अतिरिक्त, कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों की गतिविधियों से संबंधित मामलों पर किसी भी व्यक्ति को कोई सलाह नहीं देगा या देने का कारण नहीं बनेगा।

कोई भी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक, अपने कर्तव्यों के सामान्य व्यवसाय के अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति को कंपनी या उसके किसी भी या सभी उत्पादों की किसी भी गुप्त प्रक्रिया, जानकारी, उत्पादन की

लागत का खुलासा नहीं करेगा या प्रकट करने का कारण नहीं बनेगा। सहायक कंपनियों या कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों द्वारा की गई खरीद के बारे में कोई जानकारी या कंपनी द्वारा अदालतों के अंदर या बाहर दावों के निपटान के बारे में कोई जानकारी या कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के व्यापार या व्यावसायिक रहस्यों की कोई अन्य जानकारी, ज्ञान या मामले का खुलासा या प्रकटन नहीं करेगा।

## 12. गैर-सरकारी या अन्य प्रभाव का प्रचार

कोई भी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में निज हित के लिए किसी भी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं डालेगा या लाने का प्रयास करेगा।

## 13. राजनीति एवं चुनाव में भाग लेना

कोई भी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक संसद, राज्य विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में प्रचार नहीं करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा या अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा अथवा उसमें भाग नहीं लेगा। कंपनी द्वारा अनुमति मिलने पर स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश करना उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

## 14. कंपनी की संपत्ति और संसाधनों का अनुचित उपयोग

सीसीआई की संपत्तियों का उपयोग केवल उसके व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, और उनके मूल्य को संरक्षित करने के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंपनी की संपत्ति का उपयोग निषिद्ध है। रोजगार समाप्ति पर कंपनी की सभी संपत्तियां सीसीआई को वापस कर दी जानी चाहिए या इस उद्देश्य के लिए बनाए गए/अनुमोदित नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

## 15. नैतिकता रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली

सीसीआई में एक समृद्ध और स्वस्थ कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए संहिता का धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसके सभी पहलुओं का कड़ाई से पालन आवश्यक है और इसके लिए एक नैतिकता रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली की आवश्यकता होती है।

## सामान्य

### (i) आचार संहिता का प्रवर्तन

प्रत्येक बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस संहिता के पूर्ण अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। कंपनी सचिव इस संहिता के अनुपालन की निगरानी करेंगे।

### (ii) संहिता में संशोधन

इस संहिता के प्रावधानों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर संशोधित/संशोधित किया जा सकता है और ऐसे सभी संशोधन/परिवर्तन उसमें निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होंगे।

### (iii) वेबसाइट पर कोड का प्लेसमेंट

यह संहिता और इसमें कोई भी संशोधन कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

### (iv) वार्षिक अनुपालन रिपोर्टिंग

दिशानिर्देशों के खंड 15 (i) की शर्तों के अनुसार, सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का एक प्रोफार्मा इस

संहिता के साथ परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट कंपनी के कंपनी सचिव को भेजी जाएगी।

**(v) इस संहिता का अनुपालन न करने के परिणाम**

सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक उचित प्रक्रिया के अनुसार इस संहिता के संभावित उल्लंघन की किसी भी आंतरिक या बाहरी जांच के अधीन होंगे।

कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

कंपनी किसी भी व्यक्ति के लिए गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी (क) जिसने अच्छे विश्वास में इस संहिता या कंपनी की अन्य नीतियों के उल्लंघन या संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्ट की है या (ख) जो इस तरह के उल्लंघन से संबंधित किसी भी जांच या प्रक्रिया में सहायता कर रहा है।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा इस संहिता के उल्लंघन के मामले में, इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

बोर्ड के सदस्यों के लिए दंड में अनुशासनात्मक कार्रवाई, कार्यालय से निष्कासन और बर्खास्तगी के साथ-साथ कानून द्वारा अनुमत सीमा तक और परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले अन्य दंड शामिल हो सकते हैं। वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए दंड में सीडीए नियमों में निर्धारित अनुशासनात्मक कार्रवाई या ऐसे अन्य दंड शामिल हो सकते हैं जो निदेशकों की समिति द्वारा तय किए जा सकते हैं।

**(vi) कोड प्राप्ति की पावती**

सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक **परिशिष्ट-III** के माध्यम से इस संहिता के साथ संलग्न पावती प्रपत्र में इस संहिता की प्राप्ति की सूचना देंगे और इसे कंपनी सचिव को अग्रेषित करेंगे।

इस संहिता के संशोधन पर, बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक उसी **परिशिष्ट-III** में संशोधित/परिवर्तित संहिता के बारे में एक नई पावती स्वीकार कर निष्पादित करेंगे। कंपनी सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस कोड/संशोधित कोड को नियुक्ति के समय नए निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक सहित बोर्ड के सदस्यों को प्रसारित करे।

-----

## निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 का उद्धरण

### "रिश्तेदार" का अर्थ

एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार माना जाएगा यदि, और केवल तभी, -

- (क) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; या
- (ख) वे पति और पत्नी हैं; या
- (ग) अनुसूची आईए में निर्दिष्ट विधि से एक दूसरे से संबंधित है।

### अनुसूची आईए

#### रिश्तेदारों की सूची

1. पिता
2. माँ (सौतेली माँ सहित)
3. पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
4. बेटे की पत्नी
5. बेटी (सौतेली बेटी सहित)
6. पिता के पिता
7. पिता की माता
8. माँ की माँ
9. माता के पिता
10. पुत्र का पुत्र
11. बेटे के बेटे की पत्नी
12. बेटे की बेटी
13. बेटे की बेटी का पति
14. बेटी का पति
15. बेटी का बेटा
16. बेटी के बेटे की पत्नी
17. बेटी की बेटी
18. बेटी की बेटी का पति
19. भाई (सौतेले भाई सहित)
20. भाई की पत्नी

21. बहन (सौतेली बहन सहित)

22. बहन का पति

परिशिष्ट - II

निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

## वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

मैं ..... एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैंने ..... को समाप्त वाले वर्ष के दौरान निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता तथा इसके प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन किया है।

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पद : .....

तारीख : .....

स्थान : .....

निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

पावती

मैंने ..... कंपनी की निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता का प्राप्त कर पढ़ लिया है। मैं संहिता में निहित मानकों और नीतियों को समझ गया हूं। मैं इस संहिता का अनुपालन करने के लिए सहमत हूं।

हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

पद :.....

तारीख :.....

स्थान :.....